

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

आदेश

पटना, दिनांक:- 04/04/11:-

संख्या - 7/वि03-93/10 मा० 386 / श्री अजय कुमार, प्रतिनियुक्त लिपिक, जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, गोपालगंज के संबंध में विभिन्न श्रोतों से प्राप्त शिकायत के मद्देनजर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-286 दिनांक-09.03.2011 के कार्यान्वयन को स्थगित किया जाता है।

2. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सारण प्रमण्डल छपरा को निदेश दिया जाता है कि संलग्न आरोपी के संबंध में जाँचकर अपने मतव्य के साथ प्रतिवेदन पत्र निर्गत/प्राप्ति की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावे ताकि इस विषय पर सम्यक रूप से निर्णय लिया जा सकेगा।

ह0/-


निदेशक (प्रा0शि)

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार

ज्ञापांक 386

पटना, दिनांक 04/04/11:-

प्रतिलिपि - क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल छपरा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज/शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, गोपालगंज एवं संबंधित प्रतिनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रा0शि)
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार